



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270900  
CG-DL-E-12032026-270900

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2026/फाल्गुन 21, 1947

No. 175]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2026/PHALGUNA 21, 1947

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026

सं. 06/2026-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 181(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमाशुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 जिसे सा.का.नि. संख्या 781 (अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका I से जुड़ी सूचियों में, सूची 14 में, क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“3. एसबीईआर बैंक \*

(\* 25.06.2025 से प्रभावी और 31.03.2026 तक वैध। आयात की अनुमति केवल घरेलू खपत के लिए है)।”

[फा. सं. 190354/35/2023-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 को सा.का.नि. 781(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2026-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2026 द्वारा संशोधन किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 83 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2026 के तहत प्रकाशित किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th March, 2026

**No. 06/2026-Customs**

**G.S.R. 181(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 45/2025-Customs, dated the 24<sup>th</sup> October, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 781 (E), dated the 24<sup>th</sup> October, 2025, namely:-

In the said notification, in the LISTS appended to TABLE I, in List 14, after item number 2 and the entries relating thereto, the following item number and the entries shall be inserted, namely :-

“3. SBER Bank\*

(\* with effect from 25.06.2025 till 31.03.2026. Import allowed for domestic consumption only)”.

[F. No. 190354/35/2023-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

**Note** - The principal notification No. 45/2025-Customs, dated the 24<sup>th</sup> October, 2025 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 24<sup>th</sup> October, 2025 and was last amended *vide* notification No. 02/2026-Customs, dated the 1<sup>st</sup> February, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 83(E), dated the 1<sup>st</sup> February, 2026.